



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55314-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6577 वर्ष 2026

श्रीमती मुन्नी देवी और एक अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पाण्डे प्रीति प्रेमशंकर, पंकज कुमार, राजा राम, सोम पाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुकेश कुमार सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री उत्तरा बहुगुणा, राज्य प्रतिवादियों के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी - विद्युत विभाग के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सिंह की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका को दायर करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की है:

“I. मैंने परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की भूमि से बिजली के खंभे हटाने का निर्देश दिया गया था।

II. परमादेश के स्वरूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।”

3. याचिकाकर्ता गटा संख्या 666, क्षेत्रफल 0.9180 हेक्टेयर, के भूमिधर होने का दावा करते हैं। यह भूमिगांव गोवल पतिपुरा, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत में स्थित है। आरोप है कि प्रतिवादी प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं की भूमि पर 400 वोल्ट की बिजली का खंभा लगाने का प्रस्ताव कर रहा है।

4. याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध सुश्री उत्तरा बहुगुणा, राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और श्री मुकेश कुमार सिंह, प्रतिवादी - विद्युत विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

5. प्रतिवादी रिपोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने देवा राज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ और अन्य, एआईआर 1977 इलाहाबाद 452 के मामले पर भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 51 के प्रावधानों की जांच की थी, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के प्रावधानों के समान है, और यह अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पाया था कि राज्य सरकार द्वारा 1910 अधिनियम की धारा 51 और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी अधिसूचना के मद्देनजर, प्रतिवादियों को किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि पर टावर लगाने का अधिकार है।

6. इसी प्रकार, मद्रास उच्च न्यायालय ने ई. वेंकटेशन और अन्य बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, मद्रास और अन्य, एआईआर 1977 मद्रास 64 में अधिनियम की धारा 51 के तहत शक्तियों पर विचार करते हुए 1910 के मामले में भी यह टिप्पणी की:-

“उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति से यह स्पष्ट है कि जब विद्युत बोर्ड विद्युत अधिनियम की धारा 51 और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहा होता है। वह केवल बिजली की लाइनों बिछाने के उद्देश्य से भूमि का उपयोग कर रहा होता है, जिसके लिए हुई क्षति के लिए पूर्ण मुआवजा दिया जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि खंभे लगाने या टावर बनाने से पहले मालिक को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है, न ही उनसे कोई सहमति लेना आवश्यक है।”

7. इस न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 29995/2016 (पूरन सिंह और 30 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में दिनांक 5.7.2016 को दिए गए निर्णय में यह टिप्पणी की है कि परिवहन न होने के कारण विद्युत पारेषण सेवा लाइनों का निर्माण नहीं रोका जा सकता। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी को उचित निर्देश जारी किया जा सकता है कि वह कानून के अनुसार मुआवजे का निर्धारण करे और उन भूमिधारकों को मुआवजा दे जिनकी भूमि पर खंभे लगाए जा रहे हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तथ्यों और परिस्थितियों तथा मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** की जाती है कि वे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करें जिसमें इस आदेश की प्रमाणित प्रति और अन्य सहायक सामग्री शामिल हो, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ताओं के दावे पर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

18 मार्च, 2026

सुमित एस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।